फर्द अहकाम

(जगदीश बनाम प्रभाती)

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या दावा-74/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टिप्पणी
कुर्रेजात पर आपत्ति नहीं है। प्रभातीलाल JW (जगदीश)	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। आज मौकेपर वादी जगदीश, प्रतिवादी प्रभातीलाल, तहसीलदार सांगानेर, पटवारी हल्का भम्भोरिया, पटवारी महापुरा, गिरदावर भांकरोटा, गिरदावर ठीकरिया एवं पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी मे सहमति से कुर्रेजात प्रस्ताव बनाया गया। रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी ने दस्ती प्राप्त करी। उभयपक्षों ने कुर्रेजात एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। उभयपक्षों को कुर्रेजात प्रस्ताव मंजूर होने के कारण कुर्रेजात प्रस्ताव को स्वीकार कर वादी का वाद अंतिम डिक्री (मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव) किया जाता है। उभयपक्ष आदेश दिनांक 5/3/24 से 45 दिनों के अंतराल मे मुताबिक कुर्रेजात एक-दूसरे को कब्जा संभला देवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रु कम हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. मिसल किया जा चुका है तथा कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगा। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Scanned with OKEN Scanner